संख्या-649/15-7-93-16(201)/1992

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
नई दिल्ली ।

शिक्षा 17(अनुभाग) लखनऊ: दिनांक: 1/3 जनवरी, 1993

विषय:- डी०ए०वी० सेन्ट्रेलरी स्कूल, शास्त्रीनगर मेरठ को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी०ए०वी० सेन्ट्रेलरी स्कूल, शास्त्रीनगर मेरठ को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न लिखित प्रतिबन्धों के अधीन कोई आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत लोकायुक्त की अन्य-नाम पर नवीनीकराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगा और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नयी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(5) संस्था के शिक्षक तथा शिक्षेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन मान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

927
10.3.93

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सम्प्रति प्राप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान अनुमन्य कराये जायेंगे ।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था में यदि भविष्य में कोई नियमित अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति की जाती है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की शिथिलता बरती जा रही है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अशोक मुखर्जी)
उप सचिव ।

पृ०सं० 649(1)/15-7-1993 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ।
4- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, डी०ए०वी० सेन्टेनरी स्कूल, शास्त्रीनगर, मेरठ ।

आज्ञा से,

(अशोक मुखर्जी)
उप सचिव ।

DAV Centenary Public School L-Block Shastri Nagar, Meerut PRINCIPAL

DAV Centenary Public School L-Block Shastri Nagar, Meerut MANAGER